

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 814 / 12-1(I) दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 06/10/2020.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

Proposal No. - FP/UK/ROAD/11039/2015

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1097/12-1 दिनांक 21.09.2020
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	चाही गयी सूचना	आख्या
1.	बिन्दु सं० 02 के जबाब में यह दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग दो मुख्य मोटर मार्गों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में 2025 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है जिसमें ओक प्रजाति के 680 वृक्ष सम्मिलित है साथ ही इस प्रस्ताव को पूर्व में बन्द किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार यदि चाहे तो प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग को पक्का करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग, द्वारा दिनांक 17.09.2020 को उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि लोक निर्माण विभाग, गैरसैण द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग से प्रस्तावित मोटर मार्ग दो मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने तथा मुख्य रूप से नारायणबगड़ विकासखण्ड व थराली विकासखण्ड को गैरसैण व कुमाँऊ मार्ग से जोड़ने हेतु न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिसमें 5.00 किमी० लम्बाई का मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 0-10 ब्यास वर्ग के 417 बांज वृक्ष व उससे अधिक व्यास वर्ग के 680 ओक प्रजाति के वृक्षों के सापेक्ष दुगने ओक वृक्षों का वृक्षारोपण अन्यत्र क्षेत्र नवाली पंचम क०न० 02 में वृक्षारोपण किया जायेगा। उक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही लोक निर्माण विभाग, गैरसैण द्वारा पूर्व में निर्मित 5.00किमी० मार्ग को पक्का किया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन०एन०प्राण्डेय)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 1097 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 21 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा—

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय—

ऑन लाईन प्रस्ताव सं०-FP/Uk/Road/11039/2015 दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़
मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ—

ई0डी0एस0 दिनांक 10.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

1.	बिन्दु सं० 02 के जवाब में यह दिया गया है कि प्रस्तावित मार्ग दो मुख्य मोटर मार्गों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा इस प्रस्ताव में 2025 वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित है जिसमें ओक प्रजाति के 680 वृक्ष सम्मिलित हैं साथ ही इस प्रस्ताव को पूर्व में बन्द किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार यदि चाहे तो प्रस्ताव में सम्मिलित वन क्षेत्र में उपलब्ध वन मार्ग को पक्का करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।	प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, द्वारा दिनांक 17.09.2020 को उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि लोक निर्माण विभाग, गैरसैण द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग से प्रस्तावित मोटर मार्ग दो मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने तथा मुख्य रूप से नारायणबगड़ विकासखण्ड व थराली विकासखण्ड को गैरसैण व कुमाऊ मार्ग से जोड़ने हेतु न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिसमें 5.00 किमी० लम्बाई का मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले 680 ओक प्रजाति के वृक्षों के सापेक्ष दुगने ओक वृक्षों का वृक्षारोपण अन्यत्र क्षेत्र नवाली पंचम क०न० 02 में किया जायेगा। उक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही लोक निर्माण विभाग गैरसैण द्वारा पूर्व में निर्मित 5.00 किमी० मार्ग को पक्का किया जायेगा।
----	---	---

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही की कृपा करे।

भवदीय,

11/9

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।